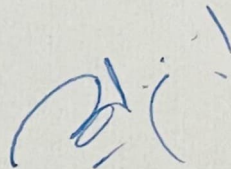


कार्यालय वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक-14.08.2020 के क्रम
में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रस्ताव का भली-भाँति
परीक्षण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से सन्तुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण)
अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत
प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु
पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी
होगे।

A. K. Singh
प्रभागीय निदेशक,
(आदेश केन्द्र)
सा० वा० वन एवं जलवायु जीव प्रभाग,
प्रभागीय निदेशक
वन एवं जलवायु जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर
उ०प्र०


परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली
उ०प्र०।
परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पत्रांक (उ०प्र०)

प्रति हस्ताक्षरित

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बरेली वृत्त बरेली,
बरेली।